



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092024-257013  
CG-DL-E-09092024-257013

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 702]  
No. 702]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 18 1946  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1022).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

### अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ/आई ई सी टी एस 17021-15 : 2023	31 अगस्त 2024	लागू नहीं	लागू नहीं

	<p>अनुरूपता निर्धारण — प्रबंधन प्रणालियों के ऑडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ</p> <p>भाग 15 स्वास्थ्य सेवा संगठनों में गुणवत्ता के लिए प्रबंधन प्रणाली के ऑडिटिंग एवं प्रमाणन हेतु सक्षम अपेक्षाएँ</p>			
--	---	--	--	--

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./475/2024-25]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Department of Consumer Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2024

**Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1022).**—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

**SCHEDULE**

SI No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>IS/ISO/IEC TS 17021-15 : 2023 Conformity Assessment — Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems Part 15 Competence Requirements for Auditing and Certification of Management Systems for Quality in Healthcare Organizations</p>	31 August 2024	NA	NA

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADV.T.-III/4/Exty./475/2024-25]